एक नजर में

महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर

इंदौर. महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में महू के गायकवाड़ आंगनवाड़ी केंद्र में संयुक्त निदेशक डॉ. संध्या व्यास के मार्गदर्शन में एक विशेष वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को बचत, बजट प्रबंधन, मुद्रास्फीति की समझ तथा दीर्घकालिक वित्तीय योजना जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों से सशक्त बनाना था. यह कार्यक्रम भारत की बेटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया जो कि महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सक्रिय एक समर्पित संस्था है. शिविर का संचालन फाउंडेशन की स्वयंसेविका मोक्ष संघवी द्वारा किया गया. उन्होंने बेहद सरल, संवादात्मक और व्यावहारिक शैली में प्रतिभागियों को वित्तीय विषयों की जानकारी दी. शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से परियोजना अधिकारी इशिता मसामिया, पर्यवेक्षक अर्जिता यादव, रजनी खंडेलवाल एवं आशा ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहीं. इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी सहभागिता की और महिलाओं को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी. भारत की बेटी फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

दरगाह मैदान में जुआ खेलते 6 दबोचे

इंदौर. खजराना पुलिस ने दरगाह मैदान में जुआ खेल रहे छह लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान मौके से ताश के पत्ते और नगदी भी जब्त की गई. एसआई खेमराज जाटव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आठ अगस्त की रात करीब 8 बजे से 8.20 बजे के बीच दरगाह मैदान में दबिश दी. यहां सलीम 38, यासीन 30, सद्दाम 30, मोईन 34, और मुजफ्फर 49 सहित कुल छह लोग ताश-पत्तों के साथ जुआ खेलते मिले. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते और 1000 रुपए नगद बरामद किए. खजराना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

मारपीट व जान से मारने की धमकी के दो मामले दर्ज

इंदौर. थाना तेजाजी नगर पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रकरण दर्ज किए हैं. पहले मामले में वृंदावन धाम, श्रीकृष्ण एवेन्यू फेस-3, लिम्बोदी निवासी सारिका सिटोले ने आरोप लगाया कि सात अगस्त की सुबह मंगत सिटोले और भैरूसिंह सिटोले ने अश्लील गालियां देते हुए डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. दूसरे मामले में भावना नगर, लिम्बोद पट्टी निवासी सोनूबाई ने शिकायत की कि 7 अगस्त की रात रोहन भालसे ने गाली-गलौज कर अश्लील बातें कहीं, डंडे से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन

महू. माउंट लिटरा ज़ी स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ. इस विशेष अवसर पर विद्यालय के नव निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को विभिन्न पदों की जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महू तहसील के एस.डी.एम. राकेश परमार द्वारा सैश एवं अभिभावकों द्वारा बैज पहनाकर सम्मानित किया गया. विशेष अतिथि के रूप में तहसीलदार महू आर. धाकड़ तथा वरिष्ठ अभिभावक कमर कुरैशी पधारीं. कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र स्वागत नृत्य रहा, जिसने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी के हृदय को छू लिया और समारोह के वातावरण को सांस्कृतिक सौंदर्य से सराबोर कर दिया. विद्यालय के चेयरमैन श्री तारिक कुरैशी ने छात्र-छात्राओं को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन दिया. सह-प्राचार्या फरज़ाना हसन द्वारा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन की शपथ दिलाई गई. इस अवसर पर गौरवी कैलोत्रा को हेड गर्ल तथा जय कुमरावत को हेड बॉय के पद पर मनोनीत किया गया. इदाक्षी शुक्ला को इंग्लिश लिटरेरी कैप्टन, माही पटेल को हिंदी लिटरेरी कैप्टन, फ़िज़ा हसन को कल्चरल कैप्टन, दिव्यांश पांडे को डिसिप्लिन कैप्टन अली हुसैन को स्पोर्ट्स कैप्टन तथा अहान बिष्ट और अहमद कुरैशी को सोशल प्रीफेक्ट्स के रूप में चयनित किया गया. संचालन चंद्रलेखा पटेरिया एवं सेवरिन मेहरा द्वारा किया गया. विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य प्रशांत धीमान के नेतृत्व में छात्र परिषद द्वारा प्रस्तुत परेड कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.

संगीतकार मुकेश चौहान की याद में संगीत निशा

महू. स्वरांजलि संगीत संस्था ने अपने संस्थापक मुकेश चौहान जी के जन्मदिन पर चोपड़ा वाटिका में सु मधुर संगीत संध्या का आयोजन कर दर्शकों का दिल जीत लियाय संस्था के डायरेक्टर रवि चौहान ने बताया कार्यक्रम मुंबई भोपाल इंदौर देवास के जबरदस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी. गायकों में मुंबई के मुंबई से अभय त्यागी भोपाल से अमन सोनी ने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया. कार्यक्रम में इंडियन आइडल 2 में अभी संगीतकारों के साथ महू शहर के मरणाक कोणी भी संगीत निशा के कार्यक्रम में नजर आएंगे. उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया. गायकों में लक्ष्मण सिंह चौहान, अनुराग तिवारी, सुरेश मोरे, बंटी बंटालु, दिलीप राय, आकृति द्विवेदी, राजेश गोठाले, गौतम पोद्दार, दिलीप करने, कुणाल देशमुख, विकेश सिंह ने अपनी आवाजों से दर्शकों का दिल जीत. कीबोर्ड पर सौरभ सक्सेना ढोलक कांगो मुणाल कोगे, ऑक्टोपेड ऋषि चौहान, अन्नू कपरिया, सुरेश श्रीवास आदि ने धूम मचा दी. संचालन रवि चौहान ने किया. आभार पवन निम्न ने माना.

राखी, आत्मा की रक्षा का संकल्प लेने का विशेष त्योहार

ओम शांति भवन के ओमप्रकाश भाईजी सभागृह में रक्षाबंधन पर्व मनाया

इंदौर. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान शिखर ओम शांति भवन के ओमप्रकाश भाईजी सभागृह में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से आध्यात्मिकता के साथ मनाया गया.

इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी ने कहा कि यह त्यौहार न सिर्फ बहनों द्वारा भाइयों को रक्षासूत्र बांधने का प्रतीक है बल्कि यह आत्मा को विकारों से रक्षा करने की भी स्मृति दिलाता है. सच्चा रक्षाबंधन आत्मा और परमात्मा के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है, जो हमें बुराई से बचाता है और श्रेष्ठता की ओर बढ़ाता है.

आगे आपने बताया कि आज के समय में रक्षाबंधन का अर्थ केवल शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता, संबंधों की मर्यादा और आत्मा की सुरक्षा का संकल्प लेना है। परमात्मा शिव स्वयं हमें ज्ञान की राखी बांधते हैं जो जीवन को श्रेष्ठ बनाती है.

लोगों को रक्षासूत्र बांधे

इस अवसर पर शहर के आए हुए सभी गणमान्य लोगों को परमात्म स्मृति में टीके रहने का तिलक लगाकर परमात्म रक्षा का प्रतीक रक्षासूत्र बांधा गया. अंत में सभी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा आदि आंतरिक शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करवाई गई. सभी ने यह महसूस किया कि यह रक्षाबंधन आत्मा की रक्षा का सच्चा पर्व है. राखी बांधने के साथ परमात्म शक्ति का अनुभव कराते हुए, बहनों ने सभी को एक नए उमंग-उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.

साधकों ने यज्ञोपवीत किया धारण

श्री राम मंदिर पंचकुइया में श्रावणी उपाकर्म

इंदौर. पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर पर श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को श्रावणी उपाकर्म आयोजित किया.

वैदिक मंत्रोच्चार और दशविधि स्नान के साथ पंचकुइया पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपालदास महाराज के सान्निध्य में श्रावणी उपाकर्म में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया. साधकों ने नई जनेऊ यज्ञोपवीत धारण की। वेद मंत्रों के बीच विद्वान पंडितों ने पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम स्वस्तिवाचन तर्पण सप्त ऋषि पूजन सहित विभिन्न क्रियाएं करवाई. इस अवसर पर डॉक्टर अभिषेक पांडे ,आचार्य कपिल किशोर शर्मा, आशीष दुबे, जयंत, मनीष दीक्षित, रामकरण शर्मा,दिनेश शास्त्री एवं अन्य विद्वान आचार्य उपस्थित रहे एवं इस कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कराया.

शिव आराधना अनुष्ठान की पूर्णाहुति

इंदौर. कालानी नगर स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर हुजूरगंज में चल रहे श्रावण मास शिव आराधना की पूर्णाहुति श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर हुई. महिलाओं ने एक महीने में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रुद्राभिषेक आचार्य पंडित शैलेन्द्र तिवारी के सानिध्य किया. पूर्णिमा पर 3100 से ज्यादा रुद्राक्ष का वितरण किया. भक्त मंडल के पं. सुमित अवस्थी ने बताया कि महीने भर से चल रहा है अनुष्ठान की पूर्णाहुति श्रावण पूर्णिमा को सुबह वेद मंत्रों के बीच आचार्य पंडितों की उपस्थिति में हुई. सुबह महिलाओं ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूरे महीने भर में महिलाओं ने मिट्टी से 5 लाख से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उसके बाद आचार्य पंडितों की उपस्थिति में आचार्य पंडित शैलेन्द्र तिवारी के आचार्यत्व में वेद मंत्रों के बीच पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन अर्चन किया. महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। आयोजन में पंचकुइयां पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज भी पधारे. सभी भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण किया. इस अवसर पर नीरज शुक्ला, बिन्दा मिश्रा, बब्बी पांडे, नवीन तिवारी, सुभम यादव, करण तोमर सहित अन्य मौजूद थे.

करो या मरो नारा, बना आजादी का मंत्र

चित्रकला और भाषण के जरिए छात्राओं ने शहीदों को किया नमन

इंदौर. भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या को केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा इंदौर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदा नगर में भारत छोड़ो आंदोलन पर केंद्रित विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इस अवसर पर चित्रकला, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई.

प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की झलकियां तथा वीर शहीदों को नमन किया. इस अवसर पर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, स्वच्छता के साथ ही राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाया गया. इस अवसर पर स्वदेशी वस्तुएं और व्यवहार अपनाने की शपथ भी दिलाई गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य अर्चना शर्मा ने कहा कि करो या मरो राष्ट्रपिता का नारा आजादी की दिशा में मंत्र सिद्ध हुआ था. इस अवसर पर विशेष अतिथि प्रोफेसर नीलम शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और वीर शहीदों के बारे में जानने को मिलता है. जब तक नागरिक अपने देश की आजादी के लिए हुए संग्राम को नहीं जानेंगे तब तक उसका महत्व नहीं समझेंगे. इसलिए इस तरह के आयोजन जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

विजेताओं को किया पुरस्कृत

केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रचार अधिकारी दिलीप सिंह परमार ने प्रश्न मंच के माध्यम से संवाद किया और स्वतंत्रता संग्राम की शौर्य गाथा पर लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से समझाइश दी. सभी प्रतियोगिताओ के विजेताओ को पुरस्कृत किया गया.

बालमुनि विजयचंद्र से आज हजारों लोग सवाल पूछकर स्मरण शक्ति जांचेंगे

देश के अनेक वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता-अन्य वर्ग के प्रबुद्धजन भी शामिल होंगे

इंदौर. रेसकोर्स रोड स्थित अभय प्रशाल स्टेडियम पर 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से एक 13 वर्षीय बाल मुनि विजयचंद्र सागर की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने के लिए करीब 10 हजार लोग जमा होंगे. इनमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, चिकित्सक, सीए, न्यायमूर्ति, समाजसेवी, उद्योगपति एवं जिन शासन से जुड़े शहर में विराजित सभी प्रमुख साधु साध्वी भगवंत भी शामिल हैं.

ये सभी अतिथि के रूप में स्टेडियम पहुंचकर इस बाल मुनि से स्वतंत्र रूप से अलग-अलग सवाल करेंगे या जो भी संवाद करेंगे, उसे यह बाल मुनि उसी क्रम में अथवा उल्टे, सीधे और रेंडम क्रम में दोहराकर अपनी स्मरण शक्ति का अनूठा प्रदर्शन करेंगे। अभय प्रशाल पर दर्शकों और श्रोताओं के लिए विशेष बैठक व्यवस्था की गई है.

जैनाचार्य नयचंद्रसागर सूरीधर की पावन निश्रा में गणिवर्य डॉ. अजीतचंद्र सागर की प्रेरणा से रविवार को यह अनूठा आयोजन सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर बाल मुनि के जवाबों तक निरंतर जारी रहेगा. आयोजन समिति की ओर से समाजसेवी ललित सी. जैन, अक्षय सुराना, निशांत कोठारी, दिलीप शाह एवं संदीप पोरवाल ने बताया कि स्टेडियम में प्रवेश हेतु अब तक करीब 10 हजार लोगों ने पंजीयन करा लिए हैं.

इसलिए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे स्टेडियम समय पर पहुंचें और पहले आएं, पहले पाएं आधार पर अपना स्थान सुरक्षित कर लें. एक बार कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद स्टेडियम के द्वार बंद करना पड़ेंगे. इस स्थिति में देरी से आने वाले श्रोताओं और दर्शकों को इस चमत्कारिक कार्यक्रम से वंचित होना पड़ सकता है.

कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान के पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद भाया जैन, देवास के सांसद महेन्द्रसिंह सोलंकी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति कमल किशोर तांतेड़ सहित बेंगलुरू के 'न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर' से जड़े वैज्ञानिक एवं चिकित्सक, इसरो के वैज्ञानिक, आयकर एवं जीएसटी अधिकारी तथा अभिभाषक एवं विभिन्न कालेजों के विभाग प्रमुख सहित अनेक विशिष्ट और गणमान्य लोग भी अतिथि के रूप में शामिल होकर इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बनेंगे.

ई-सिगरेट बेचते पिता-पुत्र गिरफ्तार

तीन लाख रुपये की माल बरामद

इंदौर. जूनी इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया. आरोपियों से करीब तीन लाख रुपए कीमत की ई-सिगरेट और हुक्के का सामान जब्त किया है.

जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनी इंदौर ब्रिज के नीचे दो व्यक्ति थैले में ई-सिगरेट लेकर बिक्री के लिए घूम रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर शंकर भावनानी 52 वर्ष और नितिन भावनानी, निवासी सिल्वर पैलेस अन्नपूर्णा इंदौर को पकड़ा. तलाशी में 4 ई-सिगरेट, हुक्के की पाइप, कोयला, पेपर और अन्य सामग्री मिली. दोनों के पास बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं था. आरोपियों पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आरोपी क्षेत्र के छात्र और युवाओं को नशे की लत लगाकर ई-सिगरेट सप्लाई कर रहे थे.

मोबाइल विवाद में 80 वर्षीय महिला को धक्का, कमर में आई चोट

इंदौर. परदेशीपुरा इलाके में शाम एक युवक ने मोबाइल को लेकर हुए विवाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को धक्का देकर घायल कर दिया. आरोपी नशे की हालत में घर में घुसा था और जाते-जाते परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे गया.

घटना शाम करीब आठ बजे परदेशीपुरा स्थित एक मकान में हुई. पीड़िता कविता जायसवाल ने रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा तरुण जायसवाल का दोस्त अरुण सेन निवासी परदेशीपुरा नशे में धुत होकर घर आ पहुंचा. उसके हाथ में मोबाइल का डिब्बा था और वह बार-बार मोबाइल के बारे में पूछने लगा. जब उन्होंने कहा कि उन्हें किसी मोबाइल की जानकारी नहीं है, तो वह झूमाझटकी पर उतारू हो गया. शोर सुनकर पास में पलंग पर लेटी उनकी मां गीता बाई चौकसे उठकर बीच-बचाव करने आईं. तभी आरोपी ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं और उनकी कमर में चोट लग गई. कविता के चिल्लाने पर पड़ोसी अमन चौकसे और किरायेदार राकेश प्रजापत मौके पर पहुंचे. उन्हें देखकर आरोपी वहां से जाने लगा, लेकिन जाते-जाते धमकी दे गया कि यदि मोबाइल नहीं दिया तो जान से खत्म कर देगा.

मजदूरी मांगने गए दंपती पर हमला, महिला को गंभीर चोट

इंदौर. तिलकनगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कोर्ट पर मजदूरी के रुपए मांगना एक दंपती को भारी पड़ गया. ठेकेदार ने गाली-गलौज करते हुए दंपती पर लोहे की सरिए से हमला कर दिया, जिसमें महिला की आंख के ऊपर गंभीर चोट आई, जबकि पति के पैर में भी चोट लगी.

घटना करीब 10 बजे की है. मीना बंसल और उनके पति जितेंद्र बंसल ने ठेकेदार राजेश कुशवाह से मजदूरी के रुपए मांगे तो उसने मां-बहन की अश्लील गालियां दीं और पैसे देने से इनकार कर दिया. विरोध करने पर आरोपी ने पति पर लोहे की सरिये से वार किया और बीच बचाव करने आई मीना बंसल की आंख के ऊपर चोट पहुंचा दी. हमले में खून निकलने लगा और पति के पैर के अंगूठे में भी चोट आई.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री धर्मेन्द्र सूर्यवंशी श्रीमती ममता चन्दन ट्रेवलर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10272203)	पटवारी हल्का संख्या 02, वार्ड संख्या 12, ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, 451442, का वह पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 416.00, 415.00, 350.00	रु. 258625/- (रु. दो लाख अट्ठावन हजार छह सौ पच्चीस मात्र)	14-2-2025	4-8-2025
श्री रमेश श्रीमती नन्दा बाई, समृद्धि फर्टिलाइजर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10364022)	पीएच संख्या 12, पटवारी हल्का संख्या 39, ग्राम भोटा, तहसील एवं जिला में स्थित, का वह पूरा टुकड़ा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, 450445, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 1620.00, 1020.00, 816.00	रु. 644784/- (रु. छह लाख चवालीस हजार सात सौ चौरासी मात्र)	14-2-2025	4-8-2025
श्री गोरेलाल सोलंकी श्रीमती पनू बाई सोलंकी मोटर बाइंडिंग (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10261557)	पटवारी हल्का संख्या 02 का वह पूरा टुकड़ा, कलामपुरा, सेगांव, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451442 में स्थित, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 675.00, 675.00, 500.00	रु. 299934/- (रु. दो लाख निन्यानवे हजार नौ सौ चौंतीस मात्र)	7-2-2025	4-8-2025
श्री शेख मुकीम श्रीमती फरेहा बी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10518464)	पटवारी हल्का संख्या 14, खसरा संख्या 164, मकान संख्या 39 का वह पूरा टुकड़ा, ग्राम सदबा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456665 में स्थित, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1512.00, 960.00, 1200.00	रु. 345281/- (रु. तीन लाख पैंतालीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र)	9-4-2025	4-8-2025
श्री सिद्धू सिंह श्रीमती मनकुंवर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10602189)	पटवारी हलका संख्या 04, मकान संख्या 42, खसरा संख्या 848, गाँव नाहरखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665, भारत, का वह पूरा टुकड़ा. माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1600.00, 1000.00, 800.00	रु. 471889/- (रु. चार लाख इकहत्तर हजार आठ सौ नवासी मात्र)	2-4-2025	4-8-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: प्रथम तल, 29, निकास चौराहा, अंकपथ मार्क, नई सड़क उज्जैन म.प्र.-456001/102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक : 10-8-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री धीरज रावल रावल दूध डेयरी, श्री जगदीश रावल, श्रीमति राधा रावल (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10370290)	पटवारी हल्का संख्या 04, पंचायत पंजीकरण संख्या 122, ग्राम बलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, 451228 में स्थित, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 851.00, 725.00, 580.00	रु. 315996/- (रु. तीन लाख पन्द्रह हजार नौ सौ छियानवे मात्र)	13-02-2025	05-08-2025
श्री राजेश कुमार पटेल श्रीमती रोशनी बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10249581)	भूखंड संख्या 171 के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल-300 वर्ग फुट, ओएसिस पार्क कॉलोनी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001-भारत. प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 310.00, 310.00	रु.746232/- (रुपये सात लाख छियालीस हजार दो सौ बत्तीस मात्र)	21-04-2025	05-08-2025
श्री सुमित शर्मा श्रीमती सूरज डावर (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10264193)	भूखंड संख्या 198 का वह पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल-300 वर्ग फुट, मदन विहार एक्सटेंशन, महू, इंदौर- 453441 -भारत प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 300.00, 450.00	रु.811397/- (रुपये आठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ सन्तानवे मात्र)	23-04-2025	05-08-2025
श्री दिलीप, सुश्री पूजा बाई, श्रीमती लीला बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10545725)	मकान संख्या 33, पीएच 50, वार्ड संख्या 04, खसरा संख्या 47, सरल क्रमांक 612, ग्राम निपानिया गोयल, तहसील घटिया, जिला का वह पूरा टुकड़ा उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456550 क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 630.00, 600.00, 480.00	रु.348016/- (रुपये तीन लाख अड़तालीस हजार सोलह मात्र)	08-04-2025	05-08-2025
श्री ओमप्रकाश सोलंकी कु. कुंताबाई ससोलंकी, मिस लीला बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10654993)	पटवारी हलका संख्या 06, खसरा संख्या 148, वार्ड संख्या 02, मकान संख्या 26, ग्राम पथमुंडला, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455001, भारत का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 2100.00, 1120.00, 1400.00	रु.416415/- (रुपये चार लाख सोलह हजार चार सौ पन्द्रह मात्र)	03-04-2025	05-08-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक : 10-8-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री ओमप्रकाश, श्रीमती ललिता, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10155979)	प्लॉट संख्या 503 A, अरिहंत रेजीडेंसी (पीथमपुर सिटी होम्स), ग्राम भाटखेड़ी, तहसील महू, जिला इंदौर-453441 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, बिक्री योग्य_क्षेत्रफल, अति_निर्मित_क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 600.00, 600.00, 300.00.	रु.1032322/- (रु.दस लाख बत्तीस हजार तीन सौ बाइस मात्र)	20/05/2025	05/08/2025
श्री जितेंद्र जोशी, सुश्री आरती, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10151621)	फ्लैट संख्या 103, प्रथम तल, आदिनाथ अपार्टमेंट, समर्थ ड्रीम सिटी, नेनोद, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत-452001 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- अतिनिर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 513.00, 342.00, 380.00.	रु.659706/- (रु. छह लाख उनसठ हजार सात सौ छह मात्र)	09/05/2025	05/08/2025
श्रीमती सुनीता कुमरे, श्री सुरेश मीणा, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10203720)	भूखंड संख्या 52, ग्लोबल वैली, ग्राम धन्नाड़, तहसील देपालपुर (नई तहसील राऊ), जिला इंदौर-453001 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, बिक्री योग्य क्षेत्रफल, अतिनिर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 640.00, 640.00, 1000.00.	रु.1968792/- (रु. उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ बानवे मात्र)	20/05/2025	05/08/2025
श्री गौतम चौरसिया श्रीमती पूजा चौरसिया पटेल स्टूडियो, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10279883)	फ्लैट संख्या 101, प्रथम तल, शक्ति अपार्टमेंट, भूखंड संख्या 470, आईडीए, स्कीम संख्या 114-1, इंदौर-452001 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल, अति निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 630.00, 851.00।	रु.1707926/- (रुपये सत्रह लाख सात हजार नौ सौ छब्बीस मात्र)	20/05/2025	05/08/2025
श्री चेतन खुराना, श्रीमती सुरजीत कौर, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10283733)	ईडब्ल्यूएस प्लॉट संख्या 18, श्रीकृष्ण प्रीमियम कॉरिडोर, ग्राम लिंबोदगिरी, तहसील हातोद, जिला इंदौर-453111 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, बिक्री योग्य क्षेत्रफल, अति निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 420.00, 420.00, 470.00.	रु.1332192/- (रुपये तेरह लाख बत्तीस हजार एक सौ बानवे मात्र)	20/05/2025	05/08/2025
श्री सुनील शर्मा, श्रीमती रेनू विश्वकर्मा, आरव इंटेरियो, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10307904)	प्लॉट संख्या 97 के दक्षिणी भाग का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप- 1000 वर्ग फुट, साईं विहार कॉलोनी, ग्राम-बड़ोदियामा, तहसील-सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश-453551, भारत. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 500.00, 500.00, 111.00.	रु.956995/- (रु. नौ लाख छप्पन हजार नौ सौ पैंसठ मात्र)	23/04/2025	05/08/2025
श्रीमती माधवी शिंदे, श्री. जीतेन्द्र शिंदे, शिंदे व्यापारी, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10419968)	प्लॉट संख्या 466, नगरपालिका दुकान संख्या 11 पैकी के उत्तरी भाग, रोड संख्या 27, वार्ड संख्या 29 (डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी) विजय नगर कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452010 का पूरा हिस्सा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 550.00, 550.00	रु.3715722/- (रुपये सैंतीस लाख पंद्रह हज़ार सात सौ बाइस मात्र)	16/05/2025	05/08/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 226, ग्राउंड फ्लोर, एबी रोड, अपोजिट चामुंडा माता मंदिर, देवास- 455001/ 102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक : 10-8-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड